

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा ।

अति महत्वपूर्ण-निर्वाचन

संख्या- /नि0का0

दिनांक- 23 जून, 2018

विषय- 610 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

- 1- कुलसचिव, डा0भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा एवं दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, (मा0) आगरा।
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2283/सीईओ-4 दिनांक 24-10-2017 एवं भारत निर्वाचन आयोग से SVEEP-II1 'Continuous electoral and democracy education एवं Project Document on Electoral Literacy Clubs in India Framework and Action Plan के अन्तर्गत जनपद के समस्त कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में मतदाता साक्षरता (Electoral Literacy Clubs) कमेटी का गठन कर, आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।


अतः आपसे अपेक्षा है कि आप अपने कार्यालय एवं अपने अधीनस्थ सरकारी/गैर सरकारी कॉलेज/महाविद्यालयों में मतदाता साक्षरता कमेटी (Electoral Literacy Clubs) का गठन कराने का कष्ट करें, जिसमें कार्यालयाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रधानाचार्य नोडल आफिसर एवं कर्मचारी/छात्र/छात्राएँ सदस्य नामित होंगे। कृपया गठित कमेटी की सूचना निम्न प्रारूप पर इस कार्यालय में दिनांक 09-07-2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मतदाता साक्षरता कमेटी

विद्यालय/कार्यालय का नाम व पता-

क्र0 सं0	मतदाता साक्षरता कमेटी के नामित नोडल अधिकारी का नाम व पद नाम एवं मो0नं0	मतदाता साक्षरता कमेटी में नामित सदस्यों के नाम व पद नाम (छात्र/छात्रा-विद्यालय में नामित केम्पस सम्बन्धी सदस्य नाम)	मोबाइल नम्बर	कार्यालय/विद्यालय ई-मेल आईडी
1	2	3	4	5
1				
2				

यह कार्य अति महत्वपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।


 (गौरव दयाल)
 जिलाधिकारी/ /
 जिला निर्वाचन अधिकारी,
 आगरा।

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को सादर अवलोकन हेतु प्रेषित।
- 2- समस्त उप जिलाधिकारी एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (नोडल अधिकारी, स्वीप-विधानसभा स्तर)
- 3- अपर नगर मजिस्ट्रेट, चतुर्थ/प्रभारी अधिकारी-स्वीप।

जिला निर्वाचन अधिकारी,
आगरा।

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, डा0भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय

जिला निर्वाचन अधिकारी आगरा के उपरोक्त पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

6/7/18